

Impact Factor – 6.625

ISSN – 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY


Multidisciplinary International E-Research Journal

PEER REFREED & INDEXED JOURNAL

January-2020 Special Issue – 212 (B)

Women Empowerment

Through Entrepreneurship & Skill Development



Guest Editor :

Dr. Sopan Nimbore

Principal,
Arts, Commerce & Science College,
Ashti, Dist.- Beed [M.S.] India

Executive Editor:

Prof. Shubhangi Khude

Coordinator, Vishakha Sammitee,
Arts, Commerce & Science College,
Ashti, Dist.- Beed [M.S.] India

Chief Editor -

Dr. Dhanraj T. Dhangar (Yeola)



This Journal is indexed in :

- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmoc Impact Factor (CIF)
- Global Impact Factor (GIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)



For Details Visit To : www.researchjourney.net

SWATIDHAN PUBLICATIONS



31	Women Empowerment through Skills Development Niwrutti Nanwate & Prof. B.K.Bangar	123
32	Analysis of Women Participation in Indian Agriculture Dr. Mangal Tekade	126
33	Challenges for Social Entrepreneurship Prof. Amar Shaikh	130
34	Government Scheme for Women Skill Development Mr. Sandip Aute	133
35	Women Empowerment : Need of the Time Dr. Bharat Gugane & Dr. Subhash Savant	134
36	A Study of Women Empowerment in India Dr. Pramod Nile	141
37	Financial Inclusion and Women Empowerment : A Key for Economic Development Mr. Anchit Jhamb & Ms. Swati Aggarwal	143
38	Deserted Women Empowerment : A Need of Society Dr. Gajanan Mudholkar	147
39	Challenges and Opportunities in Skill Development Program for Women – With Special Reference of Sports Dr. Prashant Meher	150
40	Adoption of Farm Women Regarding Health and Nutritional Practices S. P. Dhoke ' Y. B. Shambharkar & D. D. Aglawe	152
41	आजकी कामकाजी महिलाएँ और उनकी समस्याएँ डॉ. मदिना शेख	153
42	महिला सक्षमीकरण की आवश्यकता डॉ. गुलाबराव मंडलिक	157
43	साहित्य और समाज में महिला सशक्तीकरण विमर्श प्रा. जयनुल्लाखान पठाण	160
44	कामकाजी नारी की समस्याएँ प्रा. शुभांगी खुडे	164
45	महिला सशक्तीकरण और उनके अधिकार डॉ. सखाराम वांदरे	167
46	कामकाजी महिलाओं की समस्या प्रा. सुनिता बोंबे	170
47	महिला सशक्तीकरण और उनके लाभ डॉ. राजाराम सोनटक्के	172
48	महिला सशक्तीकरण और महिला विकास प्रा.रमेश भारूडकर	174
49	भारतीय कृषी उद्योग में महिला का योगदान तथा उसकी स्थिती प्रा. ओमप्रकाश झंवर	178
50	महिला सशक्तीकरण : समाज की वास्तविकता और जरूरत प्रा. सय्यद अफरोज	180
51	महिला सशक्तीकरण में स्वयंसहायता समूह की भूमिका डॉ. संजय कांबळे	184
52	महिला सशक्तीकरण का इतिहास एस. ई. भोसले	187
53	नारी सशक्तीकरण की रुकावटे और भारत सरकार की योजनाएँ प्रा. श्रीमती एच. टी. पोटकुले	190
54	स्वयं सहायता समूहोंद्वारा महिलाओं का सशक्तीकरण : एक अध्ययन डॉ. प्रमिला भगत	193
55	स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तीकरण डॉ. राजेश गायधनी	198
56	महिला सशक्तीकरण प्रा. पोपट जाधव	203
57	महिला सशक्तीकरण के लिए भारत की भूमिका डॉ. व्ही. बी. गव्हाणे	207
58	कन्या की भ्रूणहत्या की पार्श्वभूमी और परिणाम डॉ. एस. एस. कांबळे	210
59	कामकाजी स्त्रीयों की समस्या डॉ. किशोर चौधरी	214

Our Editors have reviewed papers with experts' committee, and they have checked the papers on their level best to stop furtive literature. Except it, the respective authors of the papers are responsible for originality of the papers and intensive thoughts in the papers. Nobody can republish these papers without pre-permission of the publisher.

- Chief & Executive Editor

Published by –

© Mrs. Swati Dhanraj Sonawane, Director, Swatidhan International Publication, Yeola, Nashik

Email : swatidhanrajs@gmail.com Website : www.researchjourney.net Mobile : 9665398258



नारी सशक्तिकरण की रुकावटें और भारत सरकार की योजनाएँ

प्रा. श्रीमती एच.टी. पोटकुले

हिंदी विभाग, कला व विज्ञान

महाविद्यालय, शिवाजीनगर गढ़ी, गेवराई जि.बीड

सक्षमीकरण से तात्पर्य है कि स्त्री को अपने व्यक्तित्व और क्षमता को विकसित करके निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण करना और आत्मविश्वास जागृत करना है। महिला सशक्तिकरण भौतिक या अध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। १. भारतीय समाजव्यवस्था में हमेशा रुढ़ी, परंपरा मान्यताओं, नियमों को महत्व दिया गया है इसी कारण वर्तमान काल में भी नारी की स्थिति चिंतनीय है। आधुनिक युग में नारी ने आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अपनी अस्मिता की पहचाना है फिर भी पुरुषप्रधान समाज उससे यही अपेक्षा करता है कि वह अपनी परंपरागत छवि को बनाये रखे। इसी पुरुषप्रधान संकुचित मानसिकता, प्रवृत्ति के कारण आज भी नारी ग्रस्त एवं त्रस्त है। इन परिस्थितियों से महिलाओं को मुक्त करना सही मायने में नारी सशक्तिकरण है।

भारतीय पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौनहिंसा, असमानता भ्रूणहत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी आदि। नारी सशक्तिकरण के मार्ग में जो रुकावटें हैं उन पर चर्चा करना आवश्यक है। हमारे भारतीय समाज का यह दुर्दैव रहा है कि नारी शिक्षा के प्रति हमेशा दुय्यम या तटस्थ भाव रहा है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक नारी को शिक्षा से वंचित रखा गया था। इसका प्रमुख कारण है पुरुषी वर्चस्व या पुरुषी मानसिकता। इसी काल में महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा के प्रयास किये जिसके परिणामस्वरूप आज हम नारी अपना अस्तित्व अस्मिता को प्रतिष्ठित करते देख रहे हैं। स्त्री शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा था कि, “यदि पुरुष शिक्षित होता है तो वह केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए शिक्षित होता है। लेकिन यदि महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित माना जाता है।” शिक्षा के कारण स्त्री में आत्मविश्वास जागृत हुआ है। शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला, साहित्य सभी शैक्षिक क्षेत्रों में नारी अपना प्रभाव स्थापित कर रही हैं। बावजूद इसके आज भी ग्रामीण परिवेश में शिक्षा के संबंध में लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है। भारत में महिला शिक्षा दर पुरुषों के शिक्षा दर से कम है।

समाज में पुत्र को वंश का दीपक एवं परिवार का आधार माना जाता है और स्त्री को पराया धन मानकर उसकी उपेक्षा की जाती है। समाज में स्थित स्त्री का गौण स्थान उसके प्रति परिवार का उपेक्षा का भाव स्त्री के व्यक्तित्व एवं अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर देता है। भारतीय समाजव्यवस्था में स्त्रियों को पूर्वग्रह दूषित भाव से देखा जाता है। गर्भजल परिक्षण एवं गर्भपात भारत में नारी सशक्तिकरण के रास्ते में आनेवाली रुकावट में सबसे बड़ी रुकावट है। गर्भजल परिक्षण करके कन्या भ्रूण के जन्म से पहले गर्भ में ही हत्या की जाती है। इसी कारण हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेशों में स्त्री और पुरुष के लिंगानुपात में ज्यादा अंतर आ गया है। हर प्रदेश में यह समस्या हमें देखने को मिलती है। इसी समस्या से जुड़ी एक और समस्या है कि पुत्री को जन्म देने के कारण परिवार में स्त्री का शोषण किया जाता है।

सामाजिक मापदंड, रुढ़ी-परंपरा, पुरानी मान्यताओं के कारण भारत में कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। इसी कारण महिलाएँ खुद को पुरुषों से कमजोर समझती हैं। समाज में रहते



हुए महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की विरुद्ध होनेवाले अपराध महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में चिंता का विषय है। आज कहीं पर भी महिला सुरक्षित नहीं है। शहरी परिवेश की महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की तुलना में अपराधिक हमलों की अधिक शिकार है। कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण की समस्या गंभीर रूप ले रही है। शैक्षिक संस्थाएँ, अस्पताल, सेवा उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग इस समस्या से अधिक प्रभावित है। साथ ही स्त्री और पुरुष लैंगिक भेदभाव करके महिलाओं को निचा दिखाया जाता है। कई संगठित क्षेत्रों में समान कार्य के लिए समान भुगतान तय करने के बावजूद भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम भुगतान दिया जाता है। परिवार, समाज और देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए नारी सशक्तिकरण आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण के लिए समान वेतन का अधिकार, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार, वर्किंग प्लेस में उत्पीड़न के खिलाफ कानून, संपत्ति का अधिकार कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार दिये हैं बावजूद इसके की आज भी नारी सशक्तिकरण के मार्ग में रुकावटें निर्माण हुई हैं।

किसी भी देश का पूरी तरह से विकसित बनाने के लिए उस देश की स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत देश की आधी आबादी महिलाओं की है इसलिए महिला स्वस्थ, सुरक्षित होना बेहद जरूरी है। हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ ही लोग महिला रोजगार की बात करते हैं। भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय संविधान में ७३, ७४ वे महत्वपूर्ण अनुसंधान १९९३ में किया इसके तहत राजनीतिक अधिकारों के संरचना में महिलाओं के लिए राजनीतिक समान भागीदारी तथा सहभागिता करने के दिशा में महत्वपूर्ण सफलता दिखाई। इसके कारण सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की प्रक्रिया में राजसंस्थाएँ केंद्रीय भूमिका निभाएंगी। १९९० से भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग कार्यरत है महिलाओं के अधिकार और उनकी कानूनी रक्षा का महत्वपूर्ण कार्य आयोग करता है। महिलाओं का शाश्वत और सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा २००१ में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति बनाई गई उसके द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों के द्वारा महिलाओं का संपुर्ण विकास का वातावरण बनाना, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति करना, सामाजिक सोच और सामुदायिक प्रथाओं में परिवर्तन लाना, महिला और बालिका के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और सभी प्रकार की हिंसा समाप्त करना, महिला संगठनों को सकारात्मक कार्य करने के लिए उसे प्रेरित करना और उसके साथ साझेदारी बनाये रखना। अतः में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और साथ ही सामाजिक शैक्षिक सशक्तिकरण आवश्यक है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा भारतीय महिलाओं का विकास हेतु कई सारी योजनाएँ चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य यही है कि देश की महिलाएँ सशक्त बने देश के विकास में अपना योगदान दे।

१. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना— २२ जनवरी २०१५
२. किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना—२००४
३. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना— २८ अक्टूबर २०१०
४. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना — २००४
५. स्वाधार घर योजना २००१—०२
६. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP) —१९८६—८७
७. पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण —२००९
८. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना — १ मई २०१६



१. जननी सुरक्षा योजना

भारत सरकार ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए वर्तमान स्थिति में तीन नई योजनाएँ बनाई

१. इमरजेंसी रिस्पॉस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) – इसके तहत भारत के सभी मोबाईल फोन में पैनिक बटन होगा आपत्तीजनक महिला वे बटन दबाकर स्थानीय पुलिस से तुरन्त मदद मांग सकती है । २. सुरक्षित महानगर परियोजना – इसमें अहमदाबाद, बेंगलूर, चेन्नई, दिल्ली, हैद्राबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई ये शहरों को चूना गया है। ३. डीएनए जांच के लिए विशेष प्रयोग शालाएं— यौन उत्पीड़न के मामले तुरन्त जांच हो इसी लिए ७८.८६ करोड़ रुपये निर्भया फण्ड से प्रदान किये।

भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के सहायता से नारी सशक्तिकरण के मार्ग में जो भी बाधाएँ उत्पन्न हुई है उनको दूर करना आवश्यक है साथ ही समाज क महिलाओं के प्रति देखने की जो विकृत मानसिकता है उसमें बदलाव लाना बेहद जरूरी है। भारत सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया है बावजूद इसके परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हुआ है इस पर और प्रयास करना आवश्यक है। हमारे देश में तो नारी को शिव-शक्ति के रूप में जिसे अर्धनारी नटेश्वर कहते है ये आदर्श है और भारतीय संविधान में दिये गये समानता अधिकार भी नारी का सम्मान और गरिमा का आदर करता है तो फिर भी समाज में भेद क्यों करते है? स्त्री पुरुष दोनो समान है दोनो को अपना-अपना महत्व प्राप्त है आवश्यकता है की पुरुष और नारी दोनो के द्वारा अपनी- अपनी पवित्रता का जतन करते हुए एक दुसरे की सम्मान की रक्षा करनी होगी। साथ ही युवतियों को भी अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक युद्ध के तरिके जैसे कराटे, तायकोडो, बॉक्सिंग आदि महत्वपूर्ण तरिके स्वयं रक्षा के लिए सिखने चाहिए वर्तमान स्थिति में महिलाओं पर अत्याचार का प्रमाण अधिक बढ़ता जा रहा है जबतक महिलाओं पर बलात्कार, अत्याचार सामाजिक किसी भी प्रकार की हिंसा का खात्मा नहीं होता तब तक महिला सशक्तिकरण यह शब्द सिर्फ आदर्श ही रह जायेगा । अंतः कहा जा सकता है कि महिला वो शक्ति है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में, न कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है।

संदर्भ सूची—

1. <https://www.hindikidunia.com>
2. महिला रचनाकारों के उपन्यासों में नारी सशक्तिकरण— स्वाती नारखेडे, विद्या प्रकाशन, कानपूर
3. -<https://www.pravakta.com>
4. <https://www.gaonconnection.com.women safety 43533>